

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक — 11 /02/2021

क्रमांक/443/3038/2020/ई/चार, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.01.2021 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा नीति, 2018 की कंडिका-20 में उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में वित्त विभाग अंतर्गत विभागीय स्तरीय शिकायत निवारण/नियंत्रण समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है।

2/ उक्त आदेश के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित समिति मात्र वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय (कोष एवं लेखा, संस्थागत वित्त, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मध्यप्रदेश वित्त निगम एवं दी पी.आई.सी.एल.) में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों/अभ्यावेदनों पर विचार करेगी। समिति द्वारा किसी अन्य विभाग के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक — 11 /02/2021

पृ. क्रमांक 444/3038/2020/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
 2. रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठ, मध्यप्रदेश,
 3. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठ, मध्यप्रदेश,
 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल,
 5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय,
 6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय,
 8. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
 9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, ए.बी.रोड, इंदौर
 10. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर,
 11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 12. आयुक्त, संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 13. प्रबंध संचालक, दी.आई.सी.एल. मुंबई/भोपाल,
 14. संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल,
 15. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ) भोपाल,
 16. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय, भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग